

**उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड**  
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
**U.P.Power Corporation Limited**  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-686-औस/2014/01/ए०एस०/2014

दिनांक 28 फरवरी, 2014

**कार्यालय ज्ञाप**

उ०प्र० शासन लोक सेवा प्रबन्ध अनुभाग द्वारा उ०प्र० जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा 03 के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या-2198-एक-14-2010-33 (100) 2010 दिनांक 15.01.2011 में किये गये संशोधन के सन्दर्भ में एतद्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मृतक आश्रित सेवायोजन एवं विद्युतीय दुर्घटना के प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित व्यवस्था शासकीय अधिसूचना के अनुपालन में प्रतिपादित की जाती है।

| क्र०सं० | प्रकरण                                                                 | निस्तारण की समय-सीमा |            |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|
|         |                                                                        | आवेदन की तिथि से     | प्रथम अपील | द्वितीय अपील |
| 1.      | चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर निर्णय (तकनीकी एवं अनिवार्यता परीक्षण के बाद)। | 60 दिवस              | 30 दिवस    | 30 दिवस      |
| 2.      | मृतक आश्रित की नियुक्ति (सामान्य मामलों में) पर निर्णय।                | 90 दिवस              | 30 दिवस    | 30 दिवस      |
| 3.      | विद्युत दुर्घटनाओं पर भुगतान किये जाने पर निर्णय।                      | 30 दिवस              | 15 दिवस    | 15 दिवस      |

समस्त क्षेत्रीय अधिकारीगण उक्त समय सारिणी में इंगित व्यवस्था के अनुरूप विषयगत प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें जिससे उ०प्र० जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या-2198-एक-14-2010 -33 (100) 2010 दिनांक 15.01.2011 में किये गये संशोधन का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकें।

**प्रबन्ध निदेशक,**

**संख्या:-686-औस/2014 तदनुसार।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि० मध्यांचल-लखनऊ/पर्वान्वल-वाराणसी/पश्चिमांचल-मेरठ म दक्षिणांचल-आगरा एवं केस्को-कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान में अनुपालन लाये जाने का कष्ट करें।
- 3- अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

**उप महाप्रबन्धक (औद्योगिक-सम्बन्ध)**  
U.P. Power Corporation Limited

....2....

- 5- समस्त मुख्य अभियन्ता, (वितरण) को इस अम्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध कराने हेतु।
- 6- समस्त उप-महाप्रबन्धक (औद्योगिक-सम्बन्ध)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 7- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्ध (लेखा/वित्त), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 8- समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा-स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 9- अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट [www.uppcl.org](http://www.uppcl.org) पर लोड करने हेतु।
- 10- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद, उ०प्र०, 103-कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड लखनऊ।
- 11- संयुक्त सचिव (काविनी एवं विनियम) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 12- कट फाइल।



(कौशल चन्द्र सक्सेना)  
उप महाप्रबन्धक (औसं०)